न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 22/2025
दायर दिनांक : 05/05/2025
निर्णय दिनांक : 04/11/2025

उनवान

1. अणछाई पत्नी उदा गाडरी निवासी बडवई तहसील भूपालसागर
2. ऊंकारलाल पुत्र उदा गाडरी निवासी बडवई तहसील भूपालसागर
3. क्नीराम पुत्र उदा गाडरी निवासी बडवई तहसील भूपालसागर
4. छोगालाल पुत्र उदा गाडरी निवासी बडवई तहसील भूपालसागर
5. माधु पुत्र उदा गाडरी निवासी बडवई तहसील भूपालसागर
6. श्याम पुत्र उदा गाडरी निवासी बडवई तहसील भूपालसागर
7. डालचन्द पुत्र उदा गाडरी निवासी बडवई तहसील भूपालसागर
8. देवा पुत्र घासी गाडरी निवासी बडवई तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. नारूलाल पुत्र भैरूलाल गाडरी निवासी बडवई तहसील भूपालसागर
2. मांगू पुत्र भैरा गाडरी निवासी बडवई तहसील भूपालसागर
3. गहरीलाल पिता हीरा गाडरी निवासी बडवई तहसील भूपालसागर
4. रामा पुत्र भैरा गाडरी निवासी बडवई तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण सं. 1, 2 ओर से वकील श्री ललित झंवर ने अधिकार पत्र एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया। अप्रार्थी सं. 3 व 4 उपस्थित नहीं आने से कार्यवाही एकतरफा की गई। वकील अप्रार्थी ने प्रा. पत्र 151 में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात हमारे संयुक्त खातेदारी की है संयुक्त खातेदारी की आराजियात को विभाजन का दावा करने के बाद ही पत्थरगढी करने का कानूनी अधिकार है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी ने धारा 151 का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया। उपस्थित वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन एवं दस्तावेजों का अवलोकन कर पाया गया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण पत्थरगढी हेतु प्रस्तावित की गई आराजियात के संयुक्त खातेदार है जिसका की बंटवारा होने के पश्चात ही पत्थरगढी की जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.12 11:58:25 IST
Reason: SelfAttested